न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/608

1. निरंजन सिंह आत्मज श्री दर्शन सिंह जाति जट सिख ।
2. कश्मीर सिंह आत्मज श्री दर्शन सिंह जाति जट सिख ।
3. जोगेन्द्र सिंह आत्मज श्री दर्शन सिंह जाति जट सिख ।
4. कुलवंत सिंह आत्मज श्री दर्शन सिंह जाति जट सिख निवासी भंवरियाकुवा तहसील व जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. मस्जिद नरगन शाह स्थान भंवरिया कुवा तहसील व जिला बून्दी जरिये मुतवल्ली ।
2. लटूरशाह आत्मज मस्तान शाह मृतक जरिये वैधानिक प्रतिनिधि :–
   2/1. शाहजाद मोहम्मद शाह वल्द लटूर शाह फकीर निवासी बरूधन तहसील तालेडा
   2/2. सद्दीक शाह वल्द शरीफ शाह मृतक जरिये कायममुकामान :–
   2/2/1. खादीम हुसैन शाह वल्द सद्दीक शाह ।
   2/2/2. हुसैन बानो विधवा सद्दीक शाह ।
   2/2/3. कल्लो पुत्री सद्दीक शाह ।
   2/2/4. मेहराज पुत्री सद्दीक शाह ।
   2/2/5. मुस्कान पुत्री सद्दीक शाह नाबालिग जरिये वली माता हुसैन बानो बेवा सद्दीक शाह फकीर निवासीगण बंरूधन तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. बाबू शाह वल्द मस्तान शाह मृतक जरिये कायममुकामान :–
   3/1. खेरूनिसा बेवा बाबू शाह
   3/2. अशरफ हुसैन वलद बाबू शाह ।
   3/3. हकीम शाह वल्द बाबूशाह फकीर निवीस बरूधन तहसील तालेडा ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 18/623

राजस्थान वक्फ बोर्ड मुस्लिम वक्फ ए.के. लाल कोठी योजना ज्योति नगर जरिये जिला वक्फ कमेटी बून्दी अध्यक्ष अब्दुल करीम पुत्र हाफिज अब्दुल गली कागजी देवरा नरूकी बावडी पिजांरों की मस्जिद के पास बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. मस्जिद नरगन शाह स्थान भंवरिया कुवा तहसील व जिला बून्दी जरिये मुतवल्ली ।
2. लटूरशाह आत्मज मस्तान शाह मृतक जरिये वैधानिक प्रतिनिधि :–
   2/1. शाहजाद मोहम्मद शाह वल्द लटूर शाह फकीर निवासी बरूधन तहसील तालेडा
   2/2. सद्दीक शाह वल्द शरीफ शाह मृतक जरिये कायममुकामान :–
   2/2/1. खादीम हुसैन शाह वल्द सद्दीक शाह ।
   2/2/2. हुसैन बानो विधवा सद्दीक शाह ।
   2/2/3. कल्लो पुत्री सद्दीक शाह ।
   2/2/4. मेहराज पुत्री सद्दीक शाह ।
   2/2/5. मुस्कान पुत्री सद्दीक शाह नाबालिग जरिये वली माता हुसैन बानो बेवा सद्दीक शाह फकीर निवासीगण बंरूधन तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. बाबू शाह वल्द मस्तान शाह मृतक जरिये कायममुकामान :–
   3/1. खेरूनिसा बेवा बाबू शाह
   3/2. अशरफ हुसैन वलद बाबू शाह ।
   3/3. हकीम शाह वल्द बाबूशाह फकीर निवीस बरूधन तहसील तालेडा ।
4. निरंजन सिंह आत्मज श्री दर्शन सिंह जाति जट सिख ।
5. कश्मीर सिंह आत्मज श्री दर्शन सिंह जाति जट सिख ।
6. जोगेन्द्र सिंह आत्मज श्री दर्शन सिंह जाति जट सिख ।
7. कुलवंत सिंह आत्मज श्री दर्शन सिंह जाति जट सिख निवासी भंवरियाकुवा तहसील व जिला बून्दी ।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश नन्दवाना, श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री नन्दसिंह हाडा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय

दिनांकः 14.06.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा एक ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय अलग–अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बरूंधन में मरगन शाह की मस्जिद स्थित है । इस मस्जिद का निर्माण नरगन शाह ने कराया था और नरगन शाह इस मस्जिद के मुतवल्ली थे । भूमि खसरा नम्बर 32 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 33 रकबा 41 बीघा कुल रकबा 42 बीघा 06 बिस्वा भंवरिया तहसील बून्दी में स्थित है । उक्त भूमि के खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में मस्जिद नरगन शाह स्थान बरूंधन अंकित है । उक्त कृषि भूमि को 80,000/– रूपये की एवज में 16 वर्ष तक काश्त करने के इकरार के साथ वादीगण से प्रतिवादीगण ने प्राप्त की थी जिसका इकरारनामा 20 जुलाई 1987 को निष्पादित किया गया था । उक्त इकरारनामे की प्रमुख शर्त यह थी कि वादीगण 16 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व भी उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सकेंगे । ऐसी अवस्था में जितने वर्ष तक प्रतिवादीगण ने भूमि काश्त की है उसका जुवारा 5000/– रूपये प्रतिवर्ष के हिसाब से काटकर शेष जुवारा राशि वादीगण प्रतिवादीगण को वापस कर देंगे एवं भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लेगें । वादीगण ने जुलाई 2000 में ही प्रतिवादीगण को सूचित कर दिया था कि वादीगण अब स्वयं भूमि को काश्त करेंगे तथा बकाया 03 वर्ष का जुवारा प्रतिवादीगण को देगें ।

4. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादीगण को कब्जा दिलाया जावे । लीज अवधि के जितने वर्ष कब्जा प्राप्त होने तक बकाया रहे उनकी जुवारा राशि 5000/– रूपया प्रतिवर्ष से प्रतिवादीगण को दिलायी जावे । उक्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जावे ।

5. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.09.2005 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलान्टगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अलग–अलग दो अपीलें पेश की गई जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 08.12.2005 के द्वारा दोनों अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया ।

7. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2015 के खिलाफ अपीलान्टगण ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 21.02.2012 के द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2015 को निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.09.2005 को बहाल रखने का निर्णय पारित किया ।

8. माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनिांक 21.02.2012 के खिलाफ माननीय उच्च न्यायायल सिंगल बैंच में याचिका दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल बैंच ने अपना निर्णय दिनांक 27.04.2017 पारित किया । उक्त निर्णय के खिलाफ पक्षकारान ने माननीय उच्च न्यायालय की डी0बी0 में रिट याचिका पेश की जिसमें माननीय

उच्च न्यायालय की डी0बी0 ने अपने निर्णय दिनांक 20.11.2017 के द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया ।

9. माननीय उच्च न्यायालय डी0बी0 के निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2018 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने का आदेश पारित किया ।

10. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील संख्या 18/608 एवं 18/623 अलग – अगल अपीलें पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2018 निरस्त करने का निवेदन किया ।

11. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

12. अपील संख्या 18/608 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी जैरकार थी । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली राजस्व मण्डल को न भेजकर निर्णय पारित किया है जो सारहीन है । जिला वक्फ कमेटी के द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्त जयपुर के यहॉ धारा 54, 55 वक्फ एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही पेश की थी जो जैरकार थी । विवादित आराजी का इन्द्राज रजिस्ट्रेशन रजिस्टर राजस्थान वक्फ बोर्ड ऑफ मुस्लिम में है और फिर भी दावे को मेन्टेनेबल मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है क्योंकि जिस सम्पत्ति का इन्द्राज वक्फ रजिस्टर में होता है उसके बाबत् राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने लटूर शाह के वारिसों को नरगन शाह मस्जिद का मुतवल्ली मानते हुए डिक्री जारी करने में त्रुटि की है । मुतवल्ली नियुक्त करने का अधिकार वक्फ बोर्ड को होता है । लटूर शाह के वारिसों को मुतवल्ली नियुक्त नहीं किया गया है । अपीलान्ट को शहादत का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । दावा मुतवल्ली की हैसियत से पेश किया गया है जबकि मुतवल्ली को वक्फ की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है । मुतवल्ली व्यक्तिगत केपेसिटी में दावा कर सकते हैं । इस कारण वादी का वाद चलने योग्य नहीं था । प्रकरण में दिनांक 14.09.2005 को निर्णय पारित किया गया था जिसके अपील होने पर दिनांक 08.12.2005 को प्रकरण रिमाण्ड किया गया उसके उपरान्त माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में दिनांक 21.02.2012 को निर्णय पारित किया गया है जिसके खिलाफ पक्षकारान माननीय उच्च न्यायालय में गये । माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल बैंच के द्वारा दिनांक 27.04.2017 को निर्णय पारित किया गया है जिसके खिलाफ डबल बैंच में रिट याचिका पवेश होने पर माननीय उच्च न्यायालय डबल बैंच के द्वारा दिनांक 20.11.2017 को प्रकरण रिमाण्ड किया गया था । वक्फ बोर्ड को माननीय उच्च न्यायालय में पक्षकार बनाया जा चुका था ऐसी स्थिति में वो आवश्यक पक्षकार था । अधीनस्थ न्यायालय में वक्फ बोर्ड के द्वारा पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसको खारिज किया गया जिसकी रिवीजन माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की गई थी । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के द्वारा मिसल तलब की गई और मिसल प्रेषित किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है जिसके कारण

रिवीजन व्यर्थ (Infructious) गया । उक्त आराजी वक्फ की सम्पत्ति है इस कारण क्षेत्राधिकार वक्फ अधिकरण को हे । राजस्व न्यायालय को नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.20185 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2009 (1) पेज 611, डीएनजे 2009 (2) पेज 02, डीएनजे (एससी) पेज 53 उद्धरत की ।

13. अपील संख्या 18/623 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि सम्पत्ति वक्फ बोर्ड की थी । वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में इसका इन्द्राज हो चुका है । माननीय उच्च न्यायालय में भी वक्फ बोर्ड पक्षकार था । अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से वक्फ बोर्ड की पक्षकार बनने की दरखास्त खारिज की है । अतः वक्फ बोर्ड को पक्षकार बनाया जाकर उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे। सम्पत्ति वक्फ बोर्ड की है इसलिए राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं है ।

14. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि यह सम्पत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं है व्यक्तिगत रूप से बून्दी दरवार के द्वारा नरगन शाह को दी गई थी । इस सम्पत्ति के वक्फ की सम्पत्ति के बाबत् कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं निकला है जबकि वक्फ की सम्पत्ति का गजट में नोटिफिकेशन होता है । अपीलान्ट को वादगस्त आराजी जुवारे पर दी गई थी उनका वादग्रस्त आराजी में कोई हित अथवा अधिकार प्राप्त नहीं है । वक्फ कमेटी की ओर से जो पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था उसको विड्रो कर लिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा वक्फ बोर्ड को अकारण पक्षकार बनाया गया है । माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 06 माह में प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये थे । ट्रॉबूनल में जो प्रकरण लम्बित था उसमें रेस्पोडेन्ट पक्षकार नहीं है । चूँकि सम्पत्ति वक्फ की नहीं है इसलिए राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार है । अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी पर कब्जा बनाये रखने का कोई अधिकार नहीं है । दिनांक 07.05.2005 की आदेशिका के अनुसार वक्फ बोर्ड का तथाकथित निर्णय फर्जी है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2018 बहाल रखा जावे ।

15. विद्धान् अभिभाषक अपीलान्ट ने रिबटल में कथन किया कि निर्णय फर्जी हाने का कोई प्रमाण नहीं है कोई एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं करवायी गई है ।

16. विद्धान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय हाजा में दिनांक 02.05.2019 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2018 पेज 792, आरआरटी 2015 (1) पेज 471, आरआरटी 2017 (1) पेज 619 उद्धरत किये ।

17. प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में माननीय उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में पेश की गई रिट याचिका संख्या 3703/2012 में जारी आदेशों की प्रमाणित प्रतियॉ हैं । इसके अलावा दिनांक 02.05.2019 को एक अन्य प्रार्थना पत्र पेश कर गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23 दिसम्बर, 1965 की फोटो प्रति, माननीय उच्च न्यायालय की डबल बैंच के निर्णय दिनांक 20.11.2017 की फोटो प्रति, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.08.2008 की फोटो प्रति, राजस्व ग्रुप –6 के आदेश दिनांक 25.11.2011 की फोटो प्रति और माननीय सर्वोच्च

न्यायालय के निर्णय प्रकरण संख्या 60/ए–77 दिनांक 21.01.2019 के प्रति, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.01.2019 पूणाराम बनाम मोतीराम की प्रति भी पेश की गई है जो शामिल मिसल की गई ।

18. रेस्पोडेन्ट के विद्धान् अभिभाषक के द्वारा तहसीलदार बून्दी के आदेश दिनांक 10.05.2019 और कब्जा रिपोर्ट दिनांक 17.05.2019 की प्रतियॉ भी पेश की गई हैं ।

19. विद्धान् अभिभाषक अपीलान्ट ने इजराय एवं उसमें पारित आदेश की प्रमाणित प्रतियॉ भी पेश की है जो शामिल मिसल की गई ।

20. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में मस्जिद नरगन शाह की ओर से मुतवल्ली लटूर शाह के विधिक प्रतिनिधियों ने प्रतिवादी के खिलाफ एक बेदखली का दावा पेश किया । इस दावे को उपखण्ड अधिकारी बून्दी ने दिनांक 14.09.2005 को डिक्री किया गया है । जिसके खिलाफ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष अपील पेश होने पर निर्णय दिनांक 08.12.2005 को प्रकरण रिमाण्ड किया गया । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय के खिलाफ माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में अपील पेश की गई और माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.02.2012 से न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय को अपास्त करते हुए उपखण्ड अधिकारी, बून्दी द्वारा पारित निर्णय को संशोधन के साथ यथावत रखा है । इस निर्णय के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका पेश की गई जिसमें निर्णय दिनांक 27.04.2017 को पारित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण रिमाण्ड किया गया जिसके खिलाफ द्वितीय अपील माननीय उच्च न्यायालय डबल बैंच में पेश की गई । माननीय उच्च न्यायालय की डबल बैंच के द्वारा दिनिांक 20.07.2017 को प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बून्दी में रिमाण्ड किया गया जिसकी अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है ।

21. पत्रावली में वादी की ओर से बयान लटूर शाह कराए गये हैं ।

22. प्रतिवादी की ओर से बयान जोगेन्द्र सिंह कराए गये हैं ।

23. इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर न्यायालय सम्पदा अधिकारी वक्फ के आदेश दिनांक 05.07.2004 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न है जिसमें वक्फ बोर्ड द्वारा प्रार्थी के रूप में जोगेन्द्र सिंह के खिलाफ बेदखल एवं हर्जाना वसूली का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसको स्वीकार किया जाकर बेदखली का निर्णय पारित किया गया है । एक तहरीर भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई है । मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 2 संलग्न है । पर्चा खतौनी प्रदर्श– 3, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श– 4, डाक विभाग की रसीदें प्रदर्श– 8 लगायत 14 संलग्न हैं ।

24. अधीनस्थ न्यायालय में मस्जिद नरगन शाह की ओर से मुतवल्ली की हैसियत से लटूर शाह के प्रतिनिधियों ने प्रतिवादी निरजंन शाह एवं अन्य के खिलाफ बेदखली का दावा पेश किया है । दावे में वक्फ बोर्ड को पक्षकार नहीं बनाया गया था । एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में

रशीद खान की ओर से जिला वक्फ कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से पक्षकार बनने के लिए पेश किया था जिसको दिनांक 28.04.2005 को नॉट प्रेस में खारिज करवा लिया गया । माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिका संख्या 3703/2012 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2012 के अनुसार वक्फ बोर्ड के द्वारा एक प्रार्थना पत्र संख्या 38038 दिनांक 19.07.2012 को अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के तहत पेश कर पक्षकार बनने की प्रार्थना की थी जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर वक्फ बोर्ड को आवश्यक पक्षकार माना है जब माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अपने इस आदेश से वक्फ बोर्ड को आवश्यक पक्षकार माना है तो अधीनस्थ न्यायालय में वक्फ बोर्ड आवश्यक पक्षकार था जिनको सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था ।

25. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने यह कथन किया है कि वक्फ बोर्ड इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है क्योंकि वादग्रस्त आराजी का गजट नोटिफिकेशन नहीं निकला है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी कथन किया है कि वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति के रजिस्टर में इस सम्पत्ति का अंकन हो रहा है । साथ ही उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आरएलडब्ल्यू 2009 (1) पेज 611 उद्धरत की जिसमें यह निर्णय पारित किया गया है कि ऐसी सम्पत्ति जो प्राचीनकाल से मृतकों को गाढने के लिए प्रयुक्त की जाती थी इस अवधारणा के लिए पर्याप्त है कि यह वक्फ सम्पत्ति है । इसी प्रकार मस्जिद सार्वजनिक उपयोग की सम्पत्ति है जिसके साथ ही यह अवधारणा ली जा सकती है कि यह वक्फ की सम्पत्ति किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है ।

26. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.01.2015 रिट याचिका संख्या 3703/2012 की ओर ध्यान आकर्षित कर यह निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा वक्फ बोर्ड का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है । यह प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट के द्वारा जमा करवायी गई नगद प्रतिभूति की राशि वक्फ बोर्ड में जमा कराने के बाबत् था जिसे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अस्वीकार किया गया है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.09.2012 से प्रकरण में वक्फ बोर्ड को आवश्यक पक्षकार माना है । जहॉ तक अधीनस्थ न्यायालय में सदर वक्फ कमेटी के द्वारा पेश किये प्रार्थना पत्र को दिनांक 28.04.2005 को नॉट प्रेस में खारिज करवाने का प्रश्न है, यह प्रार्थना पत्र सदर जिला वक्फ कमेटी का था न कि वक्फ बोर्ड राजस्थान का । इस आदेशिका के आधार पर यह मत कायम नहीं किया जा सकता कि इस प्रकरण में वक्फ बोर्ड आवश्यक पक्षकार नहीं है ।

27. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा जो वक्फ सम्पत्ति के रजिस्टर की नकल पेश की गई है उसमें वादग्रस्त आराजी दर्ज है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का यह कथन है कि इस आराजी के बाबत् कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है । इन तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में यह उचित समझते हैं कि वक्फ बोर्ड को बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया जावे इसके उपरान्त साक्ष्य के आधार पर यह निर्धारित किया जावे कि वादग्रस्त आराजी वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति है अथवा नहीं इस नाते अधीनस्थ न्यायालय को इसका श्रवणाधिकार है अथवा नहीं ।

28. पत्रावली में मुख्य कार्यकारी अधिकारी वक्फ बोर्ड के समक्ष राजस्थान धारा 54 एवं 55 वक्फ एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसमें दिनांक 10.10.2014 को मुख्य कार्यकारी

अधिकारी द्वारा वक्फ सम्पत्ति से कब्जा हटाने हेतु केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 व संशोधित अधिनियम 2013 की धारा 54 (3) के तहत प्रकरण वक्फ अधिकरण में पेश करने के ओदश जारी किये गये हैं । इस प्रकार पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात के आधार पर हम इस प्रकरण में अपीलान्ट वक्फ बोर्ड को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं ।

29. वक्फ एक्ट 1995 के तहत वक्फ की परिभाषा के अनुसार भी इस प्रकरण में वक्फ बोर्ड आवश्यक पक्षकार प्रतीत होता है :–
"Wakf means the permanent dedication by a person professing Islam, of any movable or immovable property for any purpose recognized by the Muslim Law as pious, religious or charitable and includes"

30. दौराने बहस विद्धान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 10.05.2019 और रिपोर्ट दिनांक 17.05.2019 की प्रतियॉ पेश कर आवगत करवाया कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को संभलाया जा चुका है ।

31. विद्धान् अभिभाषक अपीलान्ट ने तहरीर के साथ इजराय 03/इजराय/2019 की आदेशिका और इजराय की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की हैं और यह कथन किया है कि इजराय दिनांक 14.05.2019 को पेश की गई है और तहसीलदार के द्वारा उससे पूर्व ही दिनांक 10.05.2019 को बेदखली का आदेश जारी किया गया है जो विधि–विरूद्ध है । बेदखली के दावे में इजराय पेश होने के उपरान्त ही बेदखली की कार्यवाही की जा सकती है । हम विद्धान् अभिभाषक अपीलान्ट के इस कथन से सहमत हैं । बेदखली की कार्यवाही हेतु इजराय दिनांक 14.05.2019 को पेश की गई है और तहसीलदार के द्वारा इससे पूर्व ही दिनांक 10.05.2019 को आदेश पारित किया गया है जो विधि – विरूद्ध है ।

32. विद्धान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने रिबटल में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी के आदेश में भी यह अंकित है कि तहसीलदार वादग्रस्त आराजी पर कब्जा वादी को संभलाए जिसकी अनुपालना में तहसीलदार ने पत्र जारी किया है । हम विद्धान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत नहीं हैं क्योंकि बेदखली के दावे में इजराय पेश होने के उपरान्त ही बेदखली की कार्यवाही की जा सकती है ।

33. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 18/608 एवं अपील संख्या 18/623 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वक्फ बोर्ड राजस्थान जयपुर को पक्षकार बनाया जाकर उनको जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से पत्रावली प्राप्ति की दिनांक से 06 माह के अन्दर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 24.07.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

34. निर्णय आज दिनांक 14.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा